प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार थाना भगतपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.01.2025 को वादी निवासी थाना भगतपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी की बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0 –07/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को थाना भगतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त **इसरार पुत्र असगर निवासी ग्राम कुकरझुण्ड़ी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

इसरार पुत्र असगर निवासी ग्राम कुकरझुण्ड़ी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 –07/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-संजय कुमार पांचाल प्रभारी निरीक्षक,
2-ब्रजेश कुमार निरीक्षक अपराध,
3-हे0कां0 दिनेश मलिक,
4-हे0कां0 दीपक मलिक,
5-हे0कां0 चन्द्रप्रकाश थाना भगतपुर, मुरादाबाद।

2-दुष्कर्म का आऱोपी गिरफ्तार थाना कांठः-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2024 को वादी निवासी थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0-471/2024 धारा -64(1)/137(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम मे आज दिनांक 16.01.2025 को थाना कांठ पुलिस द्वारा अभियुक्त **सुमित उर्फ सुधीर कुमार पुत्र महेन्द्र सिहं निवासी ग्राम पोटा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

सुमित उर्फ सुधीर कुमार पुत्र महेन्द्र सिहं निवासी ग्राम पोटा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-471/2024 धारा -64(1)/137(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

व0उ0नि0 सुभाष चन्द

हे0कां0 दीपक नैन थाना कांठ, मुरादाबाद।

3-चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार थाना कांठः-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2024 को वादी मुनिराज सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी मौ0 पट्टी मौढ़ा कस्बा काँठ व थाना काँठ जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा वादी की लाईब्रेरी राघव अध्यन सेंटर से काउन्टर में रखे 11000/- रुपये, लाईब्रेरी की मोहर, अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना काँठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-412/2024 धारा- 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.11.2024 को थाना काँठ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-देवेन्द्र उर्फ भोलू पुत्र रामभरोसे निवासी मौ0 घोसीपुरा कस्बा व थाना काँठ जनपद मुरादाबाद, 2-मनीष उर्फ मोहित विश्नोई पुत्र राजपाल सिंह विश्नोई निवासी मौहल्ला फकीरगंज कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से एक स्टाम्प मोहर व 1000/- रुपये बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । उक्त क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को थाना कांठ पुलिस द्वारा 01 और अभियुक्त **अंकित कुमार पुत्र जयपाल सिंह सैनी निवासी मौहल्ला पट्टीवाला कस्बा थाना काँठ जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अंकित कुमार पुत्र जयपाल सिंह सैनी निवासी मौहल्ला पट्टीवाला कस्बा थाना काँठ जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह,
उ0नि0 मोहन सिंह मय हमराही पुलिस बल ।

4-मारपीट व फायर कर जान लेवा हमला करने के 02 आऱोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.01.2025 को वादी शाहरुख पुत्र नन्हे नि० ग्राम सिरसा ईनायत पुर दौडभाग थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ छीटाकंसी करने से मना करने को लेकर गाली गलौच कर मारपीट करना, जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर कर देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0-023/2025 धारा -191(2)/191(3)/115(2) /352/351(3)/109(1) बीएनएस – 2023 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को थाना कटघर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-फारूख पुत्र फिदा हुसैन निवासी ग्राम सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडबाग थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 2-शहनवाज पुत्र शहजाद मुल्ला जी निवासी ग्राम सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडबाग थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-फारूख पुत्र फिदा हुसैन निवासी ग्राम सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडबाग थाना कटघर जनपद मुरादाबाद,
2-शहनवाज पुत्र शहजाद मुल्ला जी निवासी ग्राम सिरसा इनायतपुर उर्फ दौडबाग थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-023/2025 धारा -191(2)/191(3)/115(2) /352/351(3)/109(1) बीएनएस – 2023

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 विमल किशोर
उ0नि0 नितिन कुमार,
हे0का0 दिनेश कुमार
का0 सागर थाना कटघर, मुरादाबाद।

5-मारपीट, जानलेवा हमला कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना मूढापाण्डेः-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2025 को वादी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की भतीजी व दामाद के साथ जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर गाली गलौच करना तथा जानलेवा हमला करने, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मूढापाण्डे पर तहरीर दी तहरीर के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 -13/2025 धारा -109/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Vक) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-खुशवाहा उर्फ मौ0 मुर्तजाफ पुत्र अमजद अली 2-उवैस अली पुत्र अमजद अली निवासीगण ग्राम सिहोरावाजे थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

-खुशवाहा उर्फ मौ0 मुर्तजाफ पुत्र अमजद अली 2-उवैस अली पुत्र अमजद अली निवासीगण ग्राम सिहोरावाजे थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादा बाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 -13/2025 धारा -109/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Vक) एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 राजकुमार सिंह
मय हमराही पुलिस बल।

06-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 15 आरोपी को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।